किशोरों का भविष्य संवारने में ग्राम बाल संरक्षण (वी.एल.सी.पी.सी.) की महत्वपूर्ण भूमिका

झारखंड के गोड्डा और जमताड़ा जिलों से प्राप्त अनुभव

अमाजित मुखर्जी, नसरीन जमाल, तन्वी झा, रवि वर्मा

ICRW INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN
SATHEE साथी
BADLAO FOUNDATION INITIATIVE FOR CHANGE

बाल संरक्षण समिति का जनादेश

बाल संरक्षण और सुरक्षा बच्चों के साथ काम करने के महत्वपूर्ण घटक हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस) एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका उद्धेश्य सरकार और सीविल सोसायटी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले तथा अन्य वंचित बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाना है। आई.सी.पी.एस. मंत्रालय की मौजूदा विभिन्न बाल संरक्षण योजनाओं को एक व्यापक कोष्ठ के तहत् बच्चों की सुरक्षा और नुकसान को रोकने हेतु अतिरिक्त उपक्रमों से जोड़ता है।[1]

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस) 2009 में आरंभ की गयी थी और झारखंड में इसका कार्यान्वयन 2011 में शुरु हुआ था। इस कार्यक्रम ने बाल संरक्षण समितियों (सी.पी.सी) की अवधारणा को पेश किया, जो 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु डिजाइन की गयी गठित समितियां हैं।[2] इनमें स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर, ऐडप्शन और आफ्टरकेयर कार्यक्रम योजनाएं शामिल हैं। झारखंड राज्य ने 2014 में इन समितियों (जिलों में लगभग 29,000 वी.एल.सी.पी.सी स्थापित किए जाने हैं) को लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बनाए।

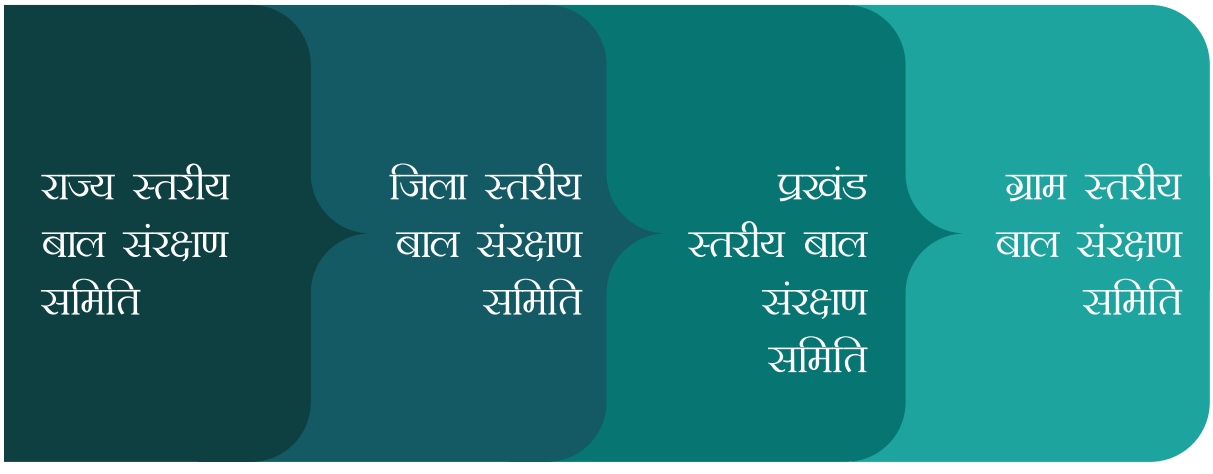

बाल अधिकारों एवं संरक्षण के मुद्दों की रोकथाम, रिपोर्टिंग, निगरानी, सुरक्षा और जवाबदेही के लिए प्रत्येक गांव में एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (वी.एल.सी.पी.सी) की स्थापना अनिवार्य है।

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (बी.एल.सी.पी.सी), के गठन का समर्थन करने तथा उन्हें योजना, बजट, क्षमता निर्माण, एवं जागरुकता बढ़ाने वाली गतिविधियों के विकास में सहायता करने हेतु अनिवार्य है।

ये संरक्षण समितियां बाल विवाह, स्कूल ड्रॉपआउट, अनाथालयों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने, किशोर लड़कियों को स्कूल जाने में सहायता करने जैसे मुद्दों को उठाने का एकमात्र मंच है। इन समितियों का यह भी जनादेश है कि वे पहचाने गए मामलों को सरकार की उपयुक्त योजनाओं तथा कार्यक्रमों से जोड़ें। ये सरकार द्वारा अनिवार्य एवं समुदाय स्तर पर स्थित एक अनूठे मंच हैं, जिनमें महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ एकजुटता की गुंजाइश है, जिन्हें संभावित रुप से निवारक सुरक्षा तंत्रों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत किया जा सकता है।

1 https://wcd.nic.in/sites/default/files/Jharkhand123_0.pdf एकीकृत बाल संरक्षण योजना; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – 13 अगस्त 2023 को प्राप्त किया गया।

2 महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2014 को जारी अधिसूचना

ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (वी.एल.सी.पी.सी) की प्रमुख भूमिकाएं एवं दायित्व

- बी.एल.सी.पी.सी. द्वारा प्रदत्त फॉर्मेट में ग्राम स्तर पर बच्चों की स्थिति का विस्तृत आंकलन जो व्यापक रूप से कठिन परिस्थितियों में आने वाले बच्चों की श्रेणी को परिलक्षित करता हो।
- अति संवेदनशील परिस्थिति वाले बच्चों की पहचान हेतु गांवों की मैपिंग, हर महीने इसका अद्यतन करना तथा गांवों में बच्चों की सुरक्षा के लिए माता–पिता को प्रोत्साहित करना।
- बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने हेतु समुदाय और बच्चों का उन्मुखीकरण।
- बाल तस्करी से निपटने, बाल विवाह रोकने व बाल श्रम रोकने के लिए समुदाय में जागरुकता बढ़ाना।
- गांव में उपरोक्त मुद्दों से संबंधित मामला पाए जाने पर उस मामले को सुलझाने हेतु पहल करना।
- प्रासंगिक जानकारी एकत्र करके तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन की विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू), जिला बाल संरक्षण समिति (डी.सी.पी.एस) और बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी) को सूचित करना।
- माता–पिता को उनके बच्चों को नियमित रुप से स्कूल भेजने के लिए जागरुक करना।
- स्कूल प्रबंधन समिति से मिलकर स्कूल से बाहर के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने का प्रयास करना।
- गांवों में बाल संरक्षण के मुद्दों पर जागरुकता बढ़ाने के लिए समय–समय पर अभियान चलाना।
- मुख्य चुनौतियों, उपलब्धियों तथा बाल संरक्षण के अवसरों के बारे में अवगत कराने हेतु बी.एल.सी.पी.सी को समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- गांवों की वार्षिक बाल संरक्षण योजना का मसौदा तैयार करना, और योजना को अंतिम रुप देने व लागू करने की आवश्यकता के बारे में बी.एल.सी.पी.सी को अवगत कराना तथा सुझाव मांगना।
- गांव में रहने वाले, स्कूल नहीं जाने वाले, काम के लिए गांव से बाहर जाने वाले व लापता बच्चों आदि का रिकॉर्ड रखना।
- विशिष्ट मामलों के रेफरल सेवाओं के लिए बी.एल.सी.पी.सी. को आवेदन अग्रसारित करना।
- बाल संरक्षण के विरुद्ध हानिकारक व्यवहारों जैसे लिंग आधारित भ्रूण हत्या, बाल विवाह, शारीरिक दंड आदि को रोकना।
- जन्म पंजीकरण, आधार कार्ड पंजीकरण, स्कूल नामांकन, प्रवासी रजिस्टर रखरखाव जैसे अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना।
- वी.एल.सी.पी.सी को बी.एल.सी.पी.सी और डी.सी.पी.एस. के साथ तस्करी के शिकार बच्चों, अनाथ बच्चों तथा बेसहारा बच्चों के स्थापन एवं पुनर्वास के लिए संपर्क करना। डी.सी.पी.एस. के परामर्श से बी.एल.सी.पी.सी को मामले के आधार पर समर्थन प्रदान करना।
- यदि गांवों में पालन–पोषण की जरुरत वाले बच्चे मौजूद हैं, तो आई.सी.पी.एस. में उल्लिखित सामुदायिक स्तर की फोस्टर केयर सेवाओं को केस दर केस बढ़ावा देना। ऐसे मामलों में डी.सी.पी.एस. के परामर्श पर बी.एल.सी.पी.सी., वी.एल.सी.पी.सी का मार्गदर्शन करेगा।
- बाल संरक्षण के लिए डी.सी.पी.एस., बी.एल.सी.पी.सी. या एस.सी.पी.एस द्वारा निर्देशित ऐसी कोई भी गतिविधियां।
- वी.एल.सी.पी.सी. बाल संरक्षण के मुद्दों पर गांवों में जागरुकता बढ़ाने के लिए नागरिक समाज संगठनों के साथ जुड़ सकता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू) की भूमिका

झारखंड राज्य के बाल संरक्षण समितियों के लिए राज्य दिशानिर्देशों को 2014 में अधिसूचित किया गया था। झारखंड राज्य बाल संरक्षण समिति (जे.एस.सी.पी.एस) ने महसूस किया कि ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू को वी.एल.सी.पी.सी का एक अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि वे डब्ल्यू.सी.डी. विभाग के लिए सामुदायिक स्तर पर तथा बच्चों एवं किशोरों के साथ संपर्क सूत्र हैं। इसलिए ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू को इस अभिसरण समिति का सूत्रधार नामित किया गया, और वी.एल.सी.पी.सी की बैठक तथा बाल ट्रैकिंग रजिस्टरों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गयी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू को पश्चिम बंगाल की तरह अन्य राज्यों में भी बैठकें आयोजित करने और प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य किया गया है।

उमंग आई.सी.आर.डब्ल्यू द्वारा संकल्पित और आई.के.इ.ए. फाउंडेशन द्वारा समर्थित लड़कियों के सशक्तिकरण का एक व्यापक, बहुस्तरीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य झारखंड राज्य के गोड्डा और जामताड़ा जिलों में लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना तथा बाल विवाह की दर को कम करना है। उमंग को आई.सी.आर.डब्ल्यू द्वारा साथी, बदलाव फाउंडेशन, और प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल के साथ मिलकर और झारखंड सरकार के सहयोग से लागू किया गया है। यह कार्यक्रम एक सामाजिक–पारिस्थितिकीय ढांचे और लैंगिक बदलाव के दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यक्तिगत (किशोरियों), पारिवारिक (माता–पिता, भाई–बहन), समुदाय (पुरुष एवं लड़के, महिलाएं एवं अन्य सामुदायिक सदस्य) तथा सिस्टम (स्कूल, स्थानीय शासन संरचना, जैसे पीआरआई, बाल संरक्षण तंत्र आदि) स्तरों पर बहुस्तरीय हस्तक्षेप के लिए काम करता है।

वी.एल.सी.पी.सी की कार्यात्मक स्थिति

उमंग कार्यक्रम के तहत शिक्षा तक पहुँचने की बाधाओं और कम उम्र में विवाह की संवेदनशीलता की पहचान के बाद उमंग कार्यक्रम को वी.एल.सी.पी.सी. के साथ जोड़ने की रणनीति बनाई गई। हालांकि, राज्य बाल संरक्षण समितियों पर राज्य दिशानिर्देशों की अधिसूचना के साथ 2014 में वापस गठित होने के बावजूद, वी.एल.सी.पी.सी. काफी हद तक निष्क्रिय पाए गए। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान उमंग कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं ने गोड्डा और जमताड़ा के जिला समाज कल्याण अधिकारियों (डी.एस.डब्ल्यू.ओ) और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों (डी.सी.पी.ओ) के साथ बैठक की। उन्होंने पाया कि वी.एल.सी.पी.सी. पूरे राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं के माध्यम से 2014 में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू) स्तर पर बनाए गये थे। हालांकि, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं (ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू) के साथ बातचीत करने पर पता चला कि उन्हें समितियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और गांव या ब्लॉक या जिला स्तर पर भी कभी कोई बैठक नहीं हुई थी। ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू बैठक आयोजित करने, उन्हें सुगम बनाने व बाल ट्रैकिंग तथा बैठक रजिस्टर रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि, सभी बैठक व ट्रैकिंग रजिस्टर जिला बाल संरक्षण समिति के पास रखे गये थे। ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू को आई.सी.पी.एस. योजना और वी.एल.सी.पी.सी. की अवधारणा तथा इन समितियों के भीतर उनकी भूमिकाओं पर कोई औपचारिक ओरिएंटेशन नहीं दिया गया था।

ये समितियां गोड्डा और जमताड़ा जिले के लगभग सभी 209 गांवों में काफी हद तक निष्क्रिय थीं, जहां 2018 में उमंग कार्यक्रम आरंभ हुआ था।

वी.एल.सी.पी.सी. की सक्रियता

आई.सी.आर.डब्ल्यू. और सहयोगियों ने स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, लड़कियों की निरंतर शिक्षा एवं बाल विवाह रोकने में वी.एल.सी.पी.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, किशोरों के सशक्तिकरण के लक्ष्य वाले उमंग कार्यक्रम के माध्यम से वी.एल.सी.पी.सी. को सक्रिय करने का प्रयास किया। वी.एल.सी.पी.सी. को सक्रिय करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित किया गया। इस रणनीतिक दृष्टिकोण के प्रमुख घटक निम्नलिखित थेः

स्थिति का विश्लेषण

जैसा कि पिछले भाग में बताया गया है, उमंग टीम ने जमीनी स्थिति से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। स्थिति विश्लेषण से पता चला कि ज्यादातर वी.एल.सी.पी.सी. जमीनी तौर पर निष्क्रिय थे तथा इसने रणनीति विकास की प्रक्रिया को सूचित किया था। यहां तक कि जो कार्य कर रहे थे, वे काफी लंबे समय तक मिले भी नहीं तथा सदस्य अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानते हुए भी वाकिफ नहीं थे कि जनादेश पर कैसे कार्य करें। उन्हें सहायता एवं क्षमता वृद्धि की जरुरत थी।

टीम का क्षमता निर्माण

उमंग सहायक सदस्य जो गोड्डा और जमताड़ा[3] के स्थानीय समुदायों से हैं, उन्होंने वी.एल.सी.पी.सी. को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उन्हें गोड्डा और जमताड़ा के जिला बाल संरक्षण अधिकारियों द्वारा बाल संरक्षण प्रणालियों पर दिशानिर्देशित किया गया था, तथा उन्हें वी.एल.सी.पी.सी. गठन की प्रक्रिया, उसकी भूमिका एवं कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया था। डी.सी.पी.ओ. ने गांवों में सहकर्मी संरक्षकों के साथ जाकर वी.एल.सी.पी.सी. की सक्रियणता में सहयोगात्मक मार्गदर्शन किया।

सक्रियता की शुरुआत

दोनों जिलों में संबंधित डी.सी.पी.यू. कार्यालयों के समन्वय से 209 गांवों में वी.एल.सी.पी.सी. को सक्रिय किया गया। ग्राम सभाएं आयोजित की गई तथा इनमें से कई बैठकों में डी.सी.पी.ओ. ने भी उमंग टीम के सदस्यों के साथ भाग लिया। वी.एल.सी.पी.सी. में 9 सदस्य होने चाहिए, अर्थात् पंचायती राज संस्था (पी.आर.आई.) का एक प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, संहिता कार्यकर्त्ता, एस.एच.जी. से एक सक्रिय महिला, एस.एम.सी. (स्कूल प्रबंधन समिति) का एक प्रतिनिधि, एवं बाल संसद के दो प्रतिनिधि (1 लड़का, 1 लड़की)। इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान बी.एल.सी.पी.सी., डी.सी.पी.यू., डी.एस.डब्ल्यू.ओ., एस.सी.पी.,स., एस.पी. तथा डी.एम. के सदस्य भाग ले सकते हैं। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उसके बाद डी.सी.पी.यू. से विधिवत् अधिसूचना के साथ इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। बाल प्रतिनिधि के रुप में एक लड़की सहित कम से कम तीन सीटें महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगी।

सहायक संरक्षकों द्वारा वी.एल.सी.पी.सी. सदस्यों (वी.एल.सी.पी.सी. में 9 सदस्य होते हैंः पी.आर.आई–1, ए.डब्ल्यू. डब्ल्यू–1, संहिता कार्यकर्त्ता–1, सक्रिय महिलाएं–(एस. एच.जी.)–1, एस.एम.सी. (स्कूल प्रबंधन समिति)–1, बाल संसद–2 (1 लड़का, 1 लड़की) को इस समिति के सदस्यों के रुप में उनकी भूमिकाओं से अवगत कराया गया तथा इस समिति के गठन को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता कार्यक्षेत्र में ग्रामसभा की लिखित कार्यवाही में लाया गया। सहायक संरक्षकों के सहयोग से गोड्डा और जमताड़ा के 4 उमंग कार्यान्वयन ब्लॉकों में वी.एल.सी.पी.सी. की मासिक बैठकें शुरु की गई।

यह प्रक्रिया धीरे–धीरे हुई क्योंकि वी.एल.सी.पी.सी. का गठन ए.डब्ल्यू.सी. स्तर पर होता है और कुल 396 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता केंद्रों ने सक्रियता एवं बैठकें शुरु करने की इस प्रक्रिया को पूरा किया।

3 स्थानीय समुदायों के समुदाय कार्यकर्त्ता उमंग कार्यक्रम में काम कर रहे हैं।

टेबल 1: वी.एल.सी.पी.सी. सक्रियता की स्थिति

ब्लॉक	गांव	ए.डब्ल्यू.सी. की संख्या	सक्रिय हुए वी.एल.सी.पी.सी.	आयोजित बैठक	प्रतिभागी
नाला	30	51	48	673	7141
जमताड़ा	51	109	108	896	13018
गोड्डा	74	140	129	632	9737
महगामा	54	122	111	527	9223
कुल	**209**	**422**	**396**	**2728**	**39119**

समुदाय स्तर की जरुरतों को समझना तथा संभावित लाभार्थियों को जोड़ने के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं का मानचित्रण

वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कई मुद्दे सामने आए। इन मुद्दों में बच्चों को वापस स्कूल लाना व उनका दाखिला शामिल था यदि वे कभी स्कूल नहीं गए, तथा माता–पिता, अभिभावकों एवं समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनके बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, आदि जैसे बुनियादी पहचान दस्तावेज प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देना शामिल है।

परिवार स्तर के मुद्दे जैसे गरीबी या एकल माता–पिता वाले परिवारों से संबंधित होने के कारण शिक्षा से वंचित कई बच्चों और किशोरों के मामले भी सामने आए। इनमें से कई स्कूल छोड़ चुकी लड़कियां विवाह एवं मानव तस्करी की चपेट में आने से असुरक्षित थी। एक बार जब वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में ऐसे बच्चों के विशेष मामले सामने आने लगे, तो सदस्यों को उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने एवं उनकी स्थिति को सुधारने में परेशानी होने लगी।

इस संदर्भ में, आई.सी.आर.डब्ल्यू. और सहयोगियों ने विभिन्न विभागों (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, श्रम, ग्रामीण विकास, जल स्वच्छता आदि) से लेकर सरकारी योजनाओं का एक विस्तृत संग्रह तैयार किया। यह संग्रह उन सभी संबंधित विभागों के दौरे तथा बैठकों के बाद विकसित किया गया, जो सीधे या परोक्ष रुप से किशोरों एवं बच्चों के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। यह संग्रह न केवल शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, आवास आदि से संबंधित योजनाओं की सूची थी, बल्कि इसमें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक मानदंड तथा दस्तावेजों को भी रेखांकित किया गया।

यह दस्तावेज उन उमंग सहकर्मी संरक्षकों को प्रदान किया गया, जिन्हें इसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसके बाद, उन्होंने ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. तथा किशोरों को इसका उपयोग करने के बारे में जानकारी प्रदान किया। इसने उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा की और उन्हें प्राप्त करने के लिए जरुरी दस्तावेजों पर स्पष्टता प्रदान की। सरकारी योजनाओं के ऐसे अनुबंधन से उम्मीद है कि वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों के दौरान बच्चों की चुनौतियों को कम करने तथा बढ़ती जरुरतों को पूरा करने में मदद् मिलेगी।

यास्मीन खातून को उसके गांव की वी.एल.सी.पी.सी. ने सरकारी प्रयोजन योजना का लाभ दिलाकर स्कूल छोड़ने से बचा लिया। यास्मीन झारखंड के गोड्डा जिले में रहती है और नियमित रुप से उमंग समूह शिक्षा गतिविधि (जी.ई.ए) सत्रों में भाग लेती थी। उसका दिहाड़ी मजदूर पिता पारिवारिक झगड़े के चलते जेल चला गया। वह अपनी मां (एक गृहिणी) और चार भाई–बहनों के साथ रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। यास्मीन उमंग जी.ई.ए. सत्रों में भाग लेती रही, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति के कारण घर पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह चिंतित थी कि उसे जल्द ही स्कूल छोड़ना होगा। लगभग उसी समय, उमंग सत्र के दौरान उसे वी.एल.सी.पी.सी. के बारे में पता चला तथा वह उसकी बैठक में शामिल होने गई। उसका मामला ट्रैकिंग रजिस्टर में दर्ज किया गया। जिसके बाद उसने चाइल्डलाइन को फोन किया। उन्होंने उसे निवारण का आश्वासन दिया और एक महीने बाद जिला स्तरीय बाल कल्याण समिति के एक सदस्य ने उसके घर का दौरा किया तथा उसके विवरणों को सत्यापित किया। इसके पश्चात उसे प्रायोजन योजना से जोड़ा गया और उसे छात्रवृत्ति के रुप में रु. 2000/– प्रतिमाह मिल रहा है।

> मुझे वी.एल.सी.पी.सी. के माध्यम से प्रायोजन का लाभ मिला है, जिसने मुझे अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी है। आज मैं एक युवा चैंपियन के रुप में पहचानी जाती हूँ, तथा मैंने अपने जैसी लड़कियों को प्रायोजन के लाभों से जोड़ा है, जिसने उन सभी को भी अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाया है।
>
> **बुल्टी मंडल, नाला ब्लॉक, जमताड़ा जिला**

> मेरे पिताजी के देहांत के बाद, मेरी शिक्षा बाधित हो गई। मेरी मॉ ने घर चलाने और मेरे छोटे भाई व हमारे बुजुर्ग दादा–दादी की सहायता करने के लिए मजदूर के रुप में काम किया। मुझे वी.एल.सी.पी.सी. की एक बैठक के माध्यम से चाइल्डलाइन प्रायोजित छात्रवृत्ति कार्यक्रम से लाभ हुआ। मुझे एवं मेरे भाई दोनों को हर महीने 2000 रुपये मिलते हैं, जिससे हम अपनी शिक्षा जारी रख पाए हैं तथा घर पर भी समर्थन प्राप्त कर पाए हैं। मेरा लक्ष्य एक पायलट बनना है।
>
> **दीप कुमार मंडल, नाला ब्लॉक, जमताड़ा जिला**

निम्नलिखित विवरण (सारणी 2) उन किशोरों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करता है, जिन्हें उमंग कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय स्तर पर सहकर्मी संरक्षकों की सहायता से विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया था। वी.एल.सी.पी.सी. फोरम ने किशोरों तथा परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

टेबल 2: किशोरों को प्रदान की गई योजनाओं के अनुबंध

जिला	किशोरों को प्रदान किए गए सरकारी योजनाओं के अनुबंधः सितंबर 2022 तक						
	ब्लॉक	सुकन्या समृद्धि योजना	कन्यादान योजना	व्हीलचेयर / तिपहिया	स्कूल दाखिले (के.जी.बी.वी. सहित)	स्पोंसरशिप योजना*	कौशल प्रशिक्षण
गोड्डा	महगामा	467	25	25			
	गोड्डा	321	86		32	2	
जमताड़ा	जामताड़ा	1068	142		के.जी.बी.वी. –40 क्लास 9–92	10	
	नाला	822	61		के.जी.बी.वी. –74 क्लास 9–38	11	67

*प्रायोजन योजना और शैक्षणिक संस्थानों से लड़कों एवं लड़कियों दोनों को जोड़ा गया। अन्य योजनाओं के लाभ केवल किशोर लड़कियों के लिए थे।

वी.एल.सी.पी.सी. में किशोरों की सक्रिय भागीदारी

चूंकि इन बैठकों में किशोरों और बच्चों के मुद्दे प्रमुख होते हैं, इसलिए रणनीतिक रुप से इन बैठकों में उनकी भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

इस निर्णय ने बैठक आयोजित करने के लिए सहकर्मी संरक्षकों पर निर्भरता कम कर दी। सहकर्मी संरक्षकों ने 209 गांवों में बनाए गये किशोर समूहों के लीडर्स से बात की। उन्हें वी.एल.सी.पी.सी. की अवधारणा और भूमिका के बारे में बताया गया। इस तरह की बातचीत ने धीरे–धीरे किशोरों की समझ को बढ़ाया कि वी.एल.सी.पी.सी. उनके साथियों के विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने तथा कुछ समाधान भी पेश करने के लिए एक मंच हो सकता है।

इसलिए उन्होंने धीरे–धीरे वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में भाग लेना शुरु कर दिया। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो उन्हें या उनके साथियों को असुरक्षित बना रहे थे, जैसे कि विभिन्न कारणों से स्कूल नहीं जा पाना, जिनमें घर का काम करने में लगे रहना, पैसा कमाने के लिए काम पर भेजा जाना, पढ़ाई का सामना न कर पाना इत्यादि शामिल हैं। ये मुद्दे बदले में बाल विवाह, बाल श्रम आदि की ओर ले जा रहे थे। लड़कों में ज्यादातर स्कूल जाने वाले ही थे जो उमंग किशोर समूह की लड़कियों के साथ इन बैठकों में भाग लेते थे। प्रति बैठक औसतन 5 से 6 किशोरों ने भाग लिया।

ज्यादातर लड़कियां ही थी जो सक्रिय रुप से बैठकों में भाग लेती थी तथा पढ़ाई में मन न लगने से लेकर पढ़ाई के बजाए पैसा कमाने की चाह जैसे मुद्दों पर बात करती थी।

कई अन्य गांवों की तरह वी.एल.सी.पी.सी. पांधा गांव में भी सक्रिय नहीं था। जब जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी.सी.पी.ओ) को इस बारे में सूचित किया गया, तो उन्होंने ग्राम सभा के माध्यम से वी.एल.सी.पी.सी. को सक्रिय करने की सिफारिश की चूंकि इसका गठन पहली बार 2014 में हुआ था। इसलिए डी.सी.पी.ओ की मदद से ग्रामसभा में समिति का पुनर्गठन किया गया। मासिक बैठकें शुरु की गई, परंतु बैठक का उद्धेश्य सदस्यों को स्पष्ट नहीं था और इसी तरह की चर्चा हर बैठक में होती रहती थी, जो ज्यादातर बाल विवाह, बालश्रम आदि पर होती थी। कभी–कभी सदस्य बहाना बनाकर भाग लेने से भी इनकार कर देते थे। स्थिति को भांपते हुए, उमंग की सहकर्मी संरक्षक एवं किशोर समूह की लीडर, भारती कुमारी ने इस मुद्दे पर चर्चा की और एक रणनीति तैयार की। भारती ने अपने समूह की लड़कियों को अपने ए.डब्ल्यू.सी. की वी.एल.सी.पी.सी. बैठक में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने बाल संसद (लड़के सदस्य) को भी नियमित रुप से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि किशोर लड़कों की कोई भागीदारी नहीं थी। चूंकि वे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को पहले से ही जानते हैं, इसलिए न तो उन्होंने और न ही अन्य सदस्यों ने बैठकों में उनकी उपस्थिति या रजिस्टरों में लिखने का विरोध किया। जब भारती और उसके दोस्तों ने देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और बैठकों की कार्यवाही निर्धारित रजिस्टर में लिखना शुरु कर दिया। उन्होंने यह भी सीखा कि वी.एल.सी.पी.सी. में पेश कि जाने वाली मामलों को कैसे संभालना है। उन्होंने बच्चों को राहत पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन चाइल्डलाइन को भी शामिल करना शुरु कर दिया। इस गांव में किशोर समूहों की यह पहल एक उदाहरण बन गई जिसे अन्य उमंग सहकर्मी संरक्षकों द्वारा वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में प्रदर्शित किया गया।

ज्योति, झारखंड के जमताड़ा जिले में नाला ब्लॉक के अफजलपुर गांव में रहती है। वह उमंग कार्यक्रम के तहत गठित गीतांजली किशोर समूह की सदस्य है। उसके पिता बढ़ई का काम करते हैं और परिवार उनकी दिहाड़ी मजदूरी पर ही निर्भर है। ज्योति मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गई तथा उसकी शिक्षा रुक गई। वह घर के काम करने लगी और उसके माता–पिता एवं रिश्तेदारों ने उसके लिए उपयुक्त रिश्ता ढूंढना शुरु कर दिया। उस समय उसकी उम्र 16 साल थी। उसके पिता ने एक रिश्ता तय कर लिया और उसकी शादी की तैयारियां आरंभ कर दी। ये घटनाक्रम ज्योति को परेशान करने लगा तो उसने अपनी स्थिति पर गीतांजली समूह की बैठक में चर्चा की। उसने बताया कि वह शादी नहीं करना चाहती है। उसने कुछ वी.एल.सी.पी. सी. बैठकों में भाग लिया और सीखा कि कम उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है। इसके बाद ज्योति एवं कुछ किशोरी समूह की सदस्याएं उमंग सहकर्मी संरक्षक के साथ ज्योति के माता–पिता से बात करने गईं। लड़कियों के एकजुट होने तथा वी.एल.सी.पी.सी. के समर्थन के कारण ज्योति में इतना साहस आ पाया। उसने उल्लेख किया कि कम उम्र में विवाह कानूनन गलत है जैसा कि वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में चर्चा की गयी थी। उसके माता–पिता ने एक बौंडपेपर पर हस्ताक्षर किए कि वे ज्योति की पढ़ाई पूरी होने से पहले उसकी शादी नहीं करेंगे। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे पास के स्कूल में फिर से दाखिला मिल गया।

जमताड़ा जिले के बंदरडीहा गांव की **फातिमा खातून** और उसकी छोटी बहन को गांव में उमंग सत्रों के बारे में पता चला तो वे बड़े उत्साह के साथ उनमें भाग लेने लगीं। कुछ समय बाद फातिमा के परिवार में उसकी शादी को लेकर चर्चा होने लगी। फातिमा शादी नहीं करना चाहती थी, उस समय वह मात्र 17 वर्ष की थी। लेकिन वह अपने माता–पिता को मना करने एवं शादी से इनकार करने का साहस नहीं जुटा पाई। वह आगे पढ़ना चाहती थी तथा अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसके सपने दूर होते लग रहे थे। इसी दौरान फातिमा ने आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया और वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में भाग लिया। उसने उमंग सत्रों के दौरान सीखा कि वह अपने मुद्दों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं वी.एल.सी.पी.सी. के अन्य सदस्यों से बात कर सकती है। उसने वी.एल.सी.पी.सी. बैठक में इस मुद्दे को उठाने का साहस जुटाया और इसके बारे में बात की। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तथा कुछ अन्य सदस्यों के साथ उसके घर का दौरा किया। उन्होंने फातिमा के माता–पिता से इस मामले पर चर्चा की। हालांकि, फातिमा के माता–पिता पहले तो नहीं माने। अगली बार वे स्कूल शिक्षक के साथ गए और इस मामले पर फिर से चर्चा की। इस बार फातिमा के माता–पिता उसकी शादी की योजना बदलने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार फातिमा वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में अपने मुद्दों को सामने रखने और वी.एल.सी.पी.सी. सदस्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम रही। उसने एक नर्स बनने का फैसला किया है तथा वर्तमान में धनबाद के एक संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इस प्रकार वी.एल.सी.पी.सी. ने फातिमा को उसके सपनों को साकार करने में मदद की।

चूंकि इन वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में चर्चा का प्रमुख केंद्र स्वयं किशोर ही थे, इसलिए इन बैठकों में किशोरों की उपस्थिति सहायक रही।

इस तरह की भागीदारी ने कठिन परिस्थितियों में सहायता की आवश्यकता वाले ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पहचान करने में मदद की।

रिकॉर्ड रखने, समीक्षा, एवं निगरानी हेतु सिस्टम स्तरीय तंत्र का इस्तेमाल

राज्य सरकार ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल संरक्षण समिति दिशानिर्देशों पर चिट्ठी भेजी, हालांकि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं वी.एल.सी.पी.सी. सदस्यों को उनकी भूमिकाओं के बारे में नहीं बताया गया था। यह वी.एल.सी.पी.सी. के कामकाज को प्रभावित कर रहा था। इसलिए सी.डी.पी.ओ. कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठकों का लाभ उठाकर उन्हें आई.सी.पी.एस. एवं बाल संरक्षण समितियों के बारे में उन्मुख करने की रणनीति विकसित की गयी थी।

जमताड़ा ब्लॉक में सी.डी.पी.ओ. की कई मासिक समीक्षा बैठकों का लाभ उठाते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वी.एल.सी.पी.सी. संयोजकों के रुप में उनकी भूमिकाओं के बारे में उन्मुखीकरण दिया गया। उमंग ब्लॉक समन्वयकों ने प्रारंभिक उन्मुखीकरण की सुविधा प्रदान की, उसके बाद महिला सुपरवाइजर और जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने भी उन्मुखीकरण दिया। जवाबदेही लेने में इस तरह के क्रमिक बदलाव ने सिस्टम स्तर के हितधारकों के बीच इस पहल में सक्रिय भूमिका निभाने और भविष्य में उमंग कार्यक्रम के कर्मचारियों पर निर्भरता कम करने में स्वामित्व बढ़ाने में मदद् की। इससे दीर्घकालिक रुप से पहल की स्थिरता मजबूत होने की उम्मीद है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सिस्टम स्तर की प्रक्रियाओं और प्लेटफॉर्मों के माध्यम से रिपोर्टिंग करना था। कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर बैठक एवं ट्रैकिंग रजिस्टरों को नियमित रुप से अपडेट किया जाता था। हालांकि, ये रजिस्टर ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. की रिपोर्टिंग का हिस्सा नहीं थे। वे अपनी समीक्षा बैठकों में सी.डी.पी.ओ. को आई.सी.डी.एस. मासिक रिपोर्ट जमा कर रही थी। हालांकि, आई.सी.पी.एस. के लिए कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई थी। इसलिए दोनों जिलों की डी.एल.सी.पी.सी. बैठकों में, उमंग टीम ने सुझाव दिया कि ए.डब्ल्यू.डब्ल्य. हर महीने सी.डी.पी.ओ. को नियमित रिपोर्टिंग के हिस्से के रुप में वी.एल.सी.पी.सी. रिपोर्ट जमा करें। सुझाव को स्वीकार कर लिया गया तथा कई ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. ने सी.डी.पी.ओ. के लिए वी.एल.सी.पी.सी. रिपोर्ट जमा करना शुरु कर दिया। यह रिपोर्ट चाइल्ड ट्रैकिंग रजिस्टरों एवं वी.एल.सी.पी.सी. बैठक रजिस्टरों की प्रतियों के रुप में है। बच्चों के विशिष्ट मामलों को बाद में महिला सुपरवाइजरों या सी.डी.पी.ओ. द्वारा संबंधित डी.सी.पी.यू. को योजनाओं से जोड़ने के लिए भेजा जाता है।

हालांकि, ब्लॉकों में ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू– द्वारा वी.एल.सी.पी.सी. पर मासिक रिपोर्टिंग अलग–अलग थी। जमताड़ा ब्लॉक में 75% ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. और नाला ब्लॉक में 80% ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. अपनी महिला सुपरवाइजरों को ये रिपोर्ट जमा कर रही थी। हालांकि, महागमा में केवल 15% ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. ने ही रिपोर्टिंग शुरु की है। यह पाया गया कि महागमा में कुछ आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रुप से संचालित नहीं हो रहे थे व केवल कुछ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिपोर्टिंग में रुचि ले रही थी।

सीधे संबंधों का समर्थन

परियोजना के शुरुआती चरणों में संबंधित उपायुक्तों के साथ संपर्क के माध्यम से दोनों जिलों में जिला स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय कर दिया गया। बी.डी.ओ. ने अपने ब्लॉक कार्यालयों में बी.एल.सी.पी.सी. बैठकें आयोजित करना आरंभ कर दिया। हालांकि, इन बैठकों की आवृत्ति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि सिस्टम कितना संवेदनशील है तथा बच्चों के मुद्दों पर कितना समय एवं एजेंडा में स्थान दिया गया है।

गोड्डा जिले में अब तक 2 डी.एल.सी.पी.सी. बैठकें तथा गोड्डा एवं महागमा ब्लॉकों में क्रमशः 2 बी.एल.सी.पी.सी. बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि, महामारी के कारण इन बैठकों में रुकावट आ गई। जामताड़ा जिले में मार्च 2022 तक क्रमशः जमताड़ा और नाला ब्लॉक में 3 डी.एल.सी.पी.सी. बैठकें 4 बी.एल.सी.पी.सी. बैठकें तथा 5 बी.एल.सी.पी.सी. बैठकें आयोजित की गई।

चुनौतियां एवं निराकरण रणनीतियाँ

वी.एल.सी.पी.सी. के प्रभावी कामकाज से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियां यह थी कि उन्हें परिचालन में लाने की आवश्यकता थी तथा उन्हें अपने अध्यादेशों की याद दिलाने एवं सक्षम बनाने के लिए प्रणालीगत समर्थन की जरुरत थी।

वी.एल.सी.पी.सी. की निष्क्रिय स्थिति सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी जो हितधारकों की जागरुकता एवं जवाबदेही की कमी के कारण उत्पन्न हुई। उमंग का अनुभव दर्शाता है कि इसे एक रणनीति विकसित करके तथा व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से लागू करके संभाला जा सकता है। शुरुआती चरण के दौरान, वी.एल.सी.पी.सी. बैठकें मुख्य रुप से उमंग सहकर्मी संरक्षकों द्वारा आरंभ किया गया था, क्योंकि न तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और न ही अन्य वी.एल.सी.पी.सी. सदस्य इस समिति के सदस्य के रुप में अपनी भूमिकाओं के बारे में जानते थे। हालांकि, धीरे–धीरे समय के साथ परिदृश्य बदल गया तथा हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं वी.एल.सी.पी.सी. के अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी।

वी.एल.सी.पी.सी. प्रमुख रुप से एक अभिसरण मंच है जहां विभिन्न सरकारी विभागों, शासन संरचनाओं, समुदाय के सदस्यों एवं किशोरों के हितधारक एक साथ आते हैं। हालांकि, सदस्यों (जो विभिन्न विभागों से होते हैं) को एक साथ लाना मुश्किल था क्योंकि उन्हें भाग लेने के लिए कोई सीधा लाभ या प्रोत्साहन नहीं दिखता था। इस मुद्दे को हल करने के लिए बाल विवाह से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के साथ बाल संरक्षण समिति की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा पी.आर.आई. सदस्यों के उन्मुखीकरण को उनकी भागीदारी बढ़ाने की रणनीति के हिस्से के रुप में शामिल किया गया। हितधारकों जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पी.आर.आई. सदस्यों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने से उनकी भागीदारी बढ़ाने तथा बैठकों को नियमित करने में मदद मिली है। यद्यपि, आगे बढ़ते हुए, जिला व राज्य प्राधिकरणों से उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संबंधित विभाग वी.एल.सी.पी.सी. के महत्व को पहचानें। इसमें एक नियमित निगरानी तंत्र को लागू करना शामिल होना चाहिए।

कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस काम को अतिरिक्त बोझ समझा। उन्हें पहले से ही कई रजिस्टरों का रखरखाव करना पड़ता था एवं वह वी.एल.सी.पी.सी. के लिए दो और रजिस्टरों को अतिरिक्त काम मानती थी। इसलिए इस कार्य को किसी बड़े कार्यक्रम के हिस्से के रुप में मुख्यधारा में लाना काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मुख्यधारा में लाना भी जरुरी था। मौजूदा रिपोर्टिंग प्रणाली के साथ मिलकर यह रिपोर्टिंग वी.एल.सी.पी.सी. के काम को मुख्यधारा में लाने में मदद करती है। बी.डी.ओ. को बी.एल.सी.पी.सी. बैठक का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा वी.एल.सी.पी.सी. बैठकों की निगरानी के लिए प्रक्रियाएं बनाना सिस्टम के स्तर पर स्वामित्व को बढ़ाने में सहायक था।

आगे का रास्ता

उमंग कार्यक्रम ने दिखाया है कि वी.एल.सी.पी.सी. समुदाय में बच्चों एवं किशोरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकती हैं। बच्चों सहित महत्वपूर्ण हितधारकों को इन मुद्दों का समाधान खोजने में शामिल किया जा सकता है। कार्यक्रम ने यह भी दिखाया कि गैर सरकारी संगठन वी.एल.सी.पी.सी. को सक्रिय करने में महत्वपर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गोड्डा एवं जमताड़ा में, सक्रियकरण प्रक्रिया ने वी.एल.सी.पी.सी. तथा ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. के लिए एक बैठक चक्र बनाया, जिसने लंबे समय तक बैठकों को नियमित करने में मदद की। वी.एल.सी.पी.सी. को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयासों के कारण समुदाय स्तर पर शिक्षा तक पहुंच, छात्रवृत्ति तथा कौशल विकास के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां हासिल हुई हैं। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य गैर सरकारी संगठनों के अनुभव एवं सीख को स्वीकार करे और सामूहिक रुप से वी.एल.सी.पी.सी. प्लेटफॉर्म की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, तथा साथ ही ब्लॉक व जिला स्तरीय इंटरफेस के लिए भी एक रोडमैप तैयार करे।

आभार

इस प्रक्रिया में हम डी.सी. गोड्डा एवं डी.सी. जमताड़ा, डी.एस.डब्ल्यू.ओ. जमताड़ा, डी.सी.पी.ओ. खूंटी, बी.डी.ओ. जमताड़ा, बी.डी.ओ. नाला, और बी.डी.ओ. महगामा के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पी.आर.आई. सदस्यों, तथा वी.एल.सी.पी.सी. के सभी सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रयास में बदलाव फाउंडेशन के प्रमुख एवं साथी के प्रमुख को उनके समर्थन हेतु विशेष धन्यवाद। हम उमंग कार्यक्रम के प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, ब्लॉक कॉर्डिनेटर, सहायकों व सहकर्मी संरक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदान किया।

उमंग टीम के उन समर्पित सदस्यों के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सामूहिक प्रयासों ने इस पहल को सफल बनाया; आपके अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद– नसरीन जमाल, शक्ति घोष, नितिन दत्ता, पारसनाथ वर्मा, बिनीत झा, त्रिलोकी नाथ, रवि वर्मा, अमाजित मुखर्जी, प्रणिता अच्युत, संदीपा फांडा, और अनुराग पॉल।

ICRW
INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN

आई.सी.आर.डब्ल्यू एशिया रिजनल ऑफिस
मॉड्यूल नंबर-410, फोर्थ फ्लोर, एन.एस.आई.सी बिजनेस पार्क बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट
नई दिल्ली - 110020, भारत | फोनः +91-11-46643333 | फैक्सः 91-11-24635142
ईमेलः info.india@icrw.org | वेबसाइटः www.icrw.org/asia

आई.सी.आर.डब्ल्यू जामताड़ा प्रोजेक्ट ऑफिस
ग्राउंड फ्लोर, 726-ए/1 पी2, कृष्णा नगर, मिहिजम, जमताड़ा, झारखंड - 815354